IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में दिव्यांगता के परिपेक्ष्य में वर्तमान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की समीक्षा

वैभव भण्डारी, शोधार्थी, केरियर पॉइट विश्वविद्यालय, कोटा

अल्ताफ हुसैन, विधि छात्र, सज्जन विधि महाविद्यालय, पाली

मानव जीवन में व्यक्ति की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति दिखता कैसा है ! व्यक्ति की बनावट कैसी है ! प्रारमिक तौर पर किसी के प्रति धारणा व्यक्ति की शारीरिक बनावट के आधार पर निर्धारित कर ली जाती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से योग्य या उसमें कोई विकार न हो तो हमारे मस्तिष्क में वहीं धारणा बनती है, जो सामान्यता किसी व्यक्ति को देखकर बनती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग हो या शारीरिक विकार से ग्रसित हो तो हमारी धारणा एक सामान्य व्यक्ति के लिए बनने वाली धारणा से अलग बनती है और इस अलग बनने वाली धारणा को समाप्त करने के लिये ही कई योजनाओं, संगठनों, अधिनियम, नियम जैसे कई आवश्यक कदम उठाये जा रहे है।

Cenus India की 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल 121 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति 'अक्षम' अथवा दिव्यांग हैं जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं। भारत में सभी आयु वर्गों में 2.4 प्रतिशत पुरुष और 2 प्रतिशत महिलाएँ दिव्यांगता से प्रभावित हैं। इसमें मानसिक तथा बौद्धिक दिव्यांगता और बोलने, सुनने तथा देखने संबंधी अक्षमता शामिल है। जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों में से 1.5 करोड़ दिव्यांग पुरुष हैं और 1.18 करोड़ दिव्यांग महिलाएँ हैं। देश की अधिकांश दिव्यांग आबादी (69 प्रतिशत) ग्रामीण भारत में निवास करती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के हर राज्य में दिव्यांगता निम्न अंकों में आंकी गई है।

क्र.सं.	राज्य	कुल दिव्यांग जनसंख्या
01	आंध्र प्रदेश	2266607
02	अरूणाचल प्रदेश	26734
03	असम	480065
04	बिहार	2331009
05	छत्तीसगढ़	624937
06	दिल्ली	234882
07	गोवा	33012
08	गुजरात	1092302

09	हरियाणा	546374
10	हिमाचल प्रदेश	155316
11	जम्मू और कश्मीर	361153
12	झारखंड़	769980
13	कर्नाटक	1324205
14	केरला	761843
15	मध्यप्रदेश	1551931
16	महाराष्ट्र	2963392
17	मणिपुर	58547
18	मिजोरम	15160
19	मेघालय	44317
20	नागालैण्ड	29631
21	ओडिशा	1244402
22	पंजाब	654063
23	राजस्थान	1563694
24	सिक्किम	18187
25	तमिलनाडू	1179963
26	त्रिपुरा	64346
27	उत्तरप्रदेश	4157514
28	उत्तराखंड	185272
29	पश्चिम बंगाल	2017406
30	अण्डमान निकोबार	6660
31	चण्डीगढ़	14796
32	दमन और दीव	2196
33	दादर और नागर हवेली	3294
34	लक्षदीप	1615
35	पाण्डीचेरी	30189

परिभाषा

सामान्यता दिव्यांगता से तात्पर्य यहीं है कि किसी भी व्यक्ति कि ऐसी शारीरिक दुर्बलता जो उस व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग बनाते है जो सामान्य है और जो उस असामान्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है उसके रोजमर्रा के कार्यो में रूकावट बनता है।

कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार ''दिव्यांगता एक स्थायी चोट, बीमारी या शारीरिक या मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन जीने के तरीके को प्रतिबंधित करती है।

"दिव्यांगता दिव्यांग होने की अवस्था है यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओ के साथ–साथ शारीरिक अक्षमताओं को ट्रिगर कर सकता है।" **द सन, (2017)**

यूनेस्कों के अनुसार ''एक मनौवैज्ञानिक शारीरिक या शारीरिक संरचना या कार्य की किसी भी तरह की हानि या असामान्यता है या दिव्यांगता किसी भी प्रतिबंध या कमी, जिसके परिणामस्वरूप एक क्षीणता हर वक्त होती है या किसी गतिविधि को ढ़ग से या सीमा के भीतर जो एक समान इंसान के लिए सामान्य है दिव्यांग के द्वारा करने में कठिन होती है या एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक ऐसी हानि जो उसके दिव्यांगता से उत्पन्न होती है जो उस भूमिका की पूर्ति को रोकता है जो उस व्यक्ति के लिए सामान्य (उम्र लिंग और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर) माना जाता है।

वर्ष 1995 से वर्ष 2016 तक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बन गया जो विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरस्त करता है।

अधिनियम में निर्धारित 7 दिव्यांगता के स्थान पर अधिनियम में 21 दिव्यांगताओं को सम्मिलित किया गया। साथ ही इस अधिनियम ने अन्य दिव्यांगता को जोडने के लिए करने के लिए सरकार का रास्ता साफ कर दिया। अधिनियम को 2014 में पेश किया गया था, उस समय इस अधिनियम में 19 दिव्यांगता थी।

इस अधिनियम के तहत 21 दिव्यांगता इस प्रकार है, दृष्टिहीनता, कमजोरदृ दृटि, कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके व्यक्ति, बधिर (बहरे और मुश्किल से सुन सकने वाले), चलने में अक्षम, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता , मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशी दुर्विकास, स्थानीय स्नायविक परिस्थितियां, विशिष्ट प्रज्ञता अक्षमताएं, मल्टीपल स्केलेरोसिस, भाषण और भाषा संबंधी दिव्यांगता, थैलेसीमिया, होमोफिलिया, सिकल सेल बीमारी, एसिड अटैक के पीड़ित और पार्किंसंस बीमारी।

वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या करीब 2.68 करोड़ या आबादी का 2.21 प्रतिशत है, अधिनियम से बड़ी संख्या में अक्षम लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि इसमें 1995 के अधिनियम की तुलना में अधिक दिव्यांगता को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अधिनियम में दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसले को भी अपनाया गया है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का करीब 15 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से जूझ रहा है।

इस अधिनियम में सरकार द्वारा कुल 119 संशोधन किए गए फरवरी 2014 से अधिनियम को कानून बनाने का काम संसद में लंबित पड़ा था। दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसले को अपनाने के बाद यह अधिनियम विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान ले लेगा।

दिव्यांगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किए जाने पर दो वर्ष की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सदन में साजा संतुलन के बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को ध्वनिमत से पारित किया गया। तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद

गहलोत ने दिसंबर 2016 में अधिनियम को राज्य सभा में प्रस्तुत किया था। अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसलों पर भी गौर किया गया है।

दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव

⇒ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया है।

⇒ दरअसल, इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।

⇒ साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई है।

आरक्षण की व्यवस्था

⇒ गौरतलब है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3: आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4: कर दिया गया है।

शिक्षा संबंधी सुधार

⇒ इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता (benchmark disability) से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

⇒ साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।

फंड की व्यवस्था

⇒ दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 'राष्ट्रीय और राज्य निधि' (National and State Fund) का निर्माण किया जाएगा।

⇒ उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड्स का इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा।

अवसरंचना संबंधी सुधार

⇒ सुलभ भारत अभियान को मज़बूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय–सीमा में सार्वजनिक इमारतों (सरकारी और निजी दोनों) में दिव्यांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

गार्डियनशिप की व्यवस्था

यह विधेयक ज़िला न्यायालय द्वारा गार्डियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी।

बेंचमार्क विकलांगता के लिये विशेष प्रावधान

⇒ गौरतलब है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40 फीसदी विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान

⇒ दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिये प्रत्येक ज़िले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा।

⇒ नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (यूएनसीआरपीडी) के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा।

⇒ भारत यूएनसीआरपीडी का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और यह अधिनियम यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा।

इस संबंध में सरकार के प्रयास

⇒ सुगम्य भारत अभियान –दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत तीन प्रमुख उद्देश्यों– विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता तथा ज्ञान एवं आईसीटी के माध्यम से दिव्यांगो को सशक्त बनाना शामिल हैं।

⇒ यूडीआईडी कार्ड – भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू किया गया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग–अलग कार्यों के लिये कई प्रमाण–पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी।

चिंताएँ

⇒ दिव्यांगजनों के लिये के लिये समय–समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पूर्व में आरक्षित 3 प्रतिशत (अब 4 प्रतिशत) सीटों में से लगभग 1 प्रतिशत सीटों पर ही भर्तियाँ हो पाई हैं।

⇒ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति के दायरे से बाहर हैं।

⇒ मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।

⇒ सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

⇒ रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुगम्यता का आभाव दिव्यांगों के साथ–साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिये भी एक बड़ी समस्या है।

⇒देश में दिव्यांगता की ऐसी कई श्रेणी जैसे चोटों, दुर्घटनाओं और कुपोषण आदि हैं, जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है, किंतु देश का स्वास्थ्य क्षेत्र खासतौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र इस प्रकार की दिव्यांगता को भी रोकने में असफल रहा है।

समाधान

⇒ नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ–साथ रोज़गार चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है, फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो।

⇒ दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके।

⇒ यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरक्षः कार्यान्वित किया जाए तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति बदल सकती है, जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है।

⇒ स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर ज़ोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

⇒ रेलवे को सभी स्टेशनों को दिव्यांगजन सुगम बनाने के लिये एक कार्यक्रम तत्काल शुरू करना चाहिये और 'पोर्टेबल स्टेप सीढ़ी' जैसे उपायों को आजमाना चाहिये।

सदर्भ

1. Cenus of india 2001
2. दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016
3. https://www.drishtiias.com/
4. विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995